कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / पीजी–2022 / 2215 लखनऊःदिनांक 27/09/2022

यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 की ऑनलाइन काउन्सलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश

- यू0पी0 नीट पी0जी0(एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 / एम0डी0एस0) 2022 की ऑनलाइन काउसिंलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था / व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 का नहीं होगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था / व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य माने जायेंगे। यदि भविष्य ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 काउसिंलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 के प्रथम / द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड की समय–सारिणी दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित करायी जायेगी तथा विभागीय वेबसाइट वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/upneet.gov.in पर अपलोड की जाएगी।

- अन्य प्रदेशो के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल कालेजो में MBBS/BDS पाठ्यक्रम हेतु ऑल इण्डिया कोटा से आरक्षित वर्ग के रूप में प्रवेश लिया है तथा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है, ऐसे अभ्यर्थी पी0जी0 स्टेट कोटा की राजकीय सीटो हेतु अनारक्षित वर्ग में अर्ह होंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अपना MBBS पाठ्यक्रम विदेश से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली के नोटिफिकेशन संख्याःU.15024 / 4 / 2022–UGMEB /, दिनांक 04 मार्च, 2022 के अनुसार अर्ह होंगे।

- MBBS/BDS उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनकी इण्टर्नशिप दिनांक 31.07.2022 तक पूर्ण हो गयी है, ऐसे अभ्यर्थी नीट पी0जी0–2022 की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।

- यू0पी0 नीट पी0जी0–2022 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियो को एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यकम एवं डी0एन0बी0 पाठ्यकम हेतु पृथक–पृथक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि भी पृथक–पृथक जमा की जायेगी।

- एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यकम एवं डी0एन0बी0 पाठ्यकम हेतु पृथक–पृथक स्टेट मेरिट घोषित की जायेगी।

- डी0एन0बी0 पाठ्यकम हेतु केवल स्वास्थ्य विभाग के वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिनकी सूची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

- स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी, जिन्हे वेटेज देने के उपरान्त यदि दो अभ्यर्थियो के अंक एक समान हो जाते है, तो ऐसी दशा में स्टेट मेरिट कमांक, ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर निर्धारित की जायेगी, उच्च ऑल इण्डिया रैंक धारक को वरीयता दी जायेगी।

- जिन अभ्यर्थियो को प्रथम चक की काउंसिलिंग में सीट का आवंटन नही होगा, उनकी धरोहर धनराशि प्रथम चक का आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी तथा द्वितीय चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिये, उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

- जिन अभ्यर्थियो को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में सीट का आवंटन नही होगा, उनकी धरोहर धनराशि द्वितीय चक का आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी तथा मॉप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने के लिये, उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

- अभ्यर्थी निम्नांकित विवरणानुसार ऑनलाइन माध्यम से सिक्योरिटी धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य हैः–

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि
1	राजकीय क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा एवं एम0डी0एस0/डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	30,000/–
2.	निजी क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	2,00,000/–
3.	निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	1,00,000/–

- सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से स्वयं बाहर हो जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 2,00,000 जमा करनें पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र की समस्त सीटो हेतु अर्ह माने जायेंगे। अभ्यर्थी अपनी अर्हता स्वयं आंकलन करे।

- रू0 30,000 जमा करने पर केवल राजकीय क्षेत्र की पी0जी0 सीटो हेतु अर्ह होंगे।

- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

- सभी अभ्यर्थियो से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 23.09.2022 एवं विवरण पुस्तिका(ब्रोशर) विभाग की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का भली भाँति स्वयं अवलोकन कर लिया जाये, जिसमे अर्ह/अनर्ह की पात्रता तथा अन्य शर्तो/प्रतिबन्धो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।***

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित कालेज से अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में शासन/महानिदेशालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।***

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक/गैर–अल्पसंख्यक कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in/upneet.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Lock करें।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।

- उपरोक्तानुसार ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में सम्पन्न की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया नामित नोडल सेन्टर पर राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय मे पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in/ upneet.gov.in पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।

- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्र मूलरूप के साथ कालेज/नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी तथा मूल शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जमा करने होंगे।

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति मे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका आरक्षित प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल, 2022** अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को छोड़ते हुए।

- पी0एम0एच0एस0 के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचित किया जाता है कि मात्र वही अभ्यर्थी भारांक अंको (Weightage) हेतु अर्ह होंगे, जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

- छात्रहित/जनहित मे उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे है, जिससे अभ्यर्थियो एवं उनके अभिभावको की समस्त जिज्ञासाएं का समाधान किया गया है।

अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा–निर्देशो, शासनादेश एवं ब्रोशर मे उल्लिखित नियम/शर्ते/प्रतिबन्ध के अवलोकनोपरांत कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति मे ही हेल्पलाइन लाइन नम्बर का प्रयोग किया जाये।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण करा लिया है एवं राज्य की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नही करते है अथवा किन्ही कारणो से सम्मिलित नही हो पा रहे है, वह प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में किसी कारण वश पंजीकरण नही कराया है और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, तो वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय–सारिणी के आधार पर पंजीकरण करा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

- उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित केन्द्रीय संस्थानो से उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्टेट कोटा की राजकीय सीटो हेतु अर्ह नही होगे।

महानिदेशक